दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08/11/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
4	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
5	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
7	प्रो0 मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति शास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ0 रिजवाना जमाल	प्राचार्य, इमामबाड़ा गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गोरखपुर	सदस्य
9	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, सेण्टएण्ड्रयूज पी0जी0 कालेज, गोरखपुर	सदस्य
10	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
11	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची :

1. विनय कुमार पाठक पुत्र श्री राममिलन पाठक बी0एड0 वर्ष–2011 अनुक्रमांक 4763090097, राजीव गांधी महाविद्यालय, पैसिया लक्ष्मीपुर महराजगंज से संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण किया। छात्र को अंकतालिका एवं उपाधि भी निर्गत है किन्तु अंक सत्यापन के समय यह ज्ञात हुआ कि छात्र का नाम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में अंकित नहीं है, लेकिन डी0डी0पी0 सेल के रिकार्ड में उपलब्ध है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 13/08/2016 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि छात्र महाविद्यालय का विधिक छात्र था। इस विसंगति के कारण छात्र का अंकपत्र सत्यापित नहीं हो पा रहा है। तद्क्रम में अंकपत्र सत्यापन पर विचार।

   निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि विनय कुमार पाठक पुत्र श्री राममिलन पाठक बी0एड0 वर्ष–2011, संस्थागत छात्र, अनुक्रमांक 4763090097, राजीव गांधी महाविद्यालय, पैसिया लक्ष्मीपुर महराजगंज का अंकपर्ण एवं पी–7 का सत्यापन कर परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय।

2. सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं धनन्जय यादव बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक 56456 एवं 56410 केन्द्र–मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कालेज, भाटपाररानी देवरिया का अंक सत्यापन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा सत्यापन कर मांगा गया है। सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध नहीं है। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय अधिवक्ता को प्रेषित सारणीयन पंजिका जो पुनः विश्वविद्यालय को प्रेषित की गई है। इस सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक 56417 से 56446 तक के अनुक्रमांक हैं शेष पृष्ठ की जानकारी अभिलेख कक्ष को नहीं हैं, महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि सारणीयन पंजिका महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है।

   माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सारणीयन पंजिका गायब होने के सम्बन्ध में स्थानीय थाना कैण्ट गोरखपुर में एफ0आई0आर0 संख्या 919/12 पेपर संख्या 557714 दर्ज करायी गयी है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे गये अंक सत्यापन पर विचार।

   (नोटः कार्यालय की आख्या, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राचार्य को प्रेषित पत्र, प्राचार्य द्वारा परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित पत्र, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्र संख्या म.मो.डी. 186/2016 दिनांक 19/07/2016 द्वारा प्रमाणित किया है कि इनकी अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत है, छात्रों की अंकतालिका की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है तथा द्वारा महाविद्यालय का परिचय पत्र, छात्रों की पुपिंग फोटो आदि भी संलग्न है।)

   निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं धनन्जय यादव बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक 56456 एवं 56410 केन्द्र–मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कालेज, भाटपाररानी देवरिया से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष एवं महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो सारणीयन पंजिका गायब होने के सम्बन्ध में पूर्व में एफ0आई0आर0 दर्ज है, दर्ज एफ0आई0आर0 का संज्ञान लिया गया। पूर्व में दर्ज एफ0आई0आर0 के बाद क्या परीक्षा समिति आगे कार्यवाई कर सकती है इस संदर्भ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

3. अनिल कुमार गुप्त पुत्र श्री जीउत प्रसाद गुप्त बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1989 केन्द्र नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर से सम्बन्धित रिकार्ड विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में सारणीयन पंजिका उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय की सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय से एक पत्र पत्र संख्या 816/प0नि0का0/2016 दिनांक 15/10/2016 प्रेषित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 111/सा0प0का0/2016–17 दिनांक 22/10/2016 में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी से प्राप्त अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के आप महाविद्यालय प्राचार्य को इस आशय का एक पत्र, पत्रसंख्या 832/प0नि0का0/2016 दिनांक 02/11/2016 को प्रेषित किया गया कि आप के महाविद्यालय द्वारा जारी अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र आपके महाविद्यालय द्वारा निर्गत की गयी है एवं उस पर तत्कालीन प्राचार्य एवं लिपिक का हस्ताक्षर सही है या नहीं? उक्त के सम्बन्ध में प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या 114/अ0च0/2016–17 दिनांक 03/11/2016 द्वारा सूचित किया गया कि संलग्न अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1989 महाविद्यालय द्वारा निर्गत अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र पर तत्कालीन प्राचार्य व लिपिक का हस्ताक्षर सही है। श्री अनिल कुमार गुप्ता ने वर्ष–1990 में बी0एस–सी0 किया कोर्स उत्तीर्ण किया है जिसका अनुक्रमांक 75273 है, जिसका परीक्षाफल उत्तीर्ण है, जिसकी सारणीयन पंजिका मूल रूप में विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री अनिल कुमार गुप्त बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1989 के सत्यापन भेजने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनिल कुमार गुप्त पुत्र श्री जीउत प्रसाद गुप्त बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1989, केन्द्र नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष एवं महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो इस संदर्भ में पुनः विस्तृत परीक्षण कर आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाय।

4. श्री यज्ञ नारायण ठाकुर बी0ए0 भाग दो अनुक्रमांक 167899 वर्ष–1987 महाविद्यालय, दूबे छपरा बलिया ने अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्नपत्र के परिनिरीक्षण (स्क्रूटनी) द्वारा बढ़े अंक विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिका में अंकित कर उपाधि निर्गत करने की मांग की है, तदक्रम में उपाधि निर्गत करने पर विचार।
(नोटः विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिका में पुराना अंक अंकित है जबकि छात्र द्वारा संशोधन पत्र संलग्न किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत है, महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में संशोधन है)

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री यज्ञ नारायण ठाकुर बी0ए0 भाग दो अनुक्रमांक 167899 वर्ष–1987 महाविद्यालय, दूबे छपरा बलिया ने अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्नपत्र के परिनिरीक्षण (स्क्रूटनी) द्वारा बढ़े अंक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर संशोधन कर उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

5(क). अजय कुमार पिल्लई ने अपने पत्र दिनांक 13/07/2016 के द्वारा मांग किया है कि बी0एस–सी0 भाग दो अनुक्रमांक 36290 वर्ष–1983, केन्द्र–श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में एवं विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिका में पिता का नाम योगेन्द्र पिल्लई अंकित है। जबकि इनके पिता का नाम गोपाल कृष्ण पिल्लई है इस संदर्भ में इन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टमीडिएट का प्रमाण पत्र संलग्न किया है एवं शपथपत्र भी दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि पर पिता का नाम गोपाल कृष्ण पिल्लई अंकित है, अतः इनके पिता के नाम योगेन्द्र पिल्लई के स्थान पर गोपाल कृष्ण पिल्लई नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अजय कुमार पिल्लई के पिता के नाम योगेन्द्र पिल्लई के स्थान पर गोपाल कृष्ण पिल्लई नाम का संशोधन कर दिया जाय।

(ख). मनीषा श्रीवास्तव पति दिप्तिमान श्रीवास्तव, बी0एड0 वर्ष–2008, अनुक्रमांक–1147760068, सेण्ट जोसफ कालेज फॉर वूमेन सिविल लाइंस, गोरखपुर से उत्तीर्ण हैं अभ्यर्थिनी को अंकतालिका तथा उपाधि निर्गत की जा चुकी है। मनीषा श्रीवास्तव पति दिप्तिमान श्रीवास्तव का पति से विवाह–विच्छेद हो जाने के कारण अपने पत्र दिनांक 04/11/2016 के द्वारा अनुरोध किया है कि अंकतालिका एवं उपाधि पर पति के नाम दिप्तिमान श्रीवास्तव के स्थान पर पिता का नाम बृजेश कुमार श्रीवास्तव अंकित किया जाय। मनीषा श्रीवास्तव के पति के नाम दिप्तिमान श्रीवास्तव के स्थान पर पिता का नाम बृजेश कुमार श्रीवास्तव नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मनीषा श्रीवास्तव के पति के नाम दिप्तिमान श्रीवास्तव के

(ग). श्रीमती पूनम त्रिपाठी पत्नी श्री जयगोविन्द कुमार त्रिपाठी बी0ए0 भाग एक वर्ष–2009 अनुक्रमांक–2011140052 बी0ए0 भाग दो वर्ष–2010 अनुक्रमांक–3067610026, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2011 अनुक्रमांक–4117610023, वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, इन्डस्ट्रीयल एरिया, लच्छीपुर, गोरखपुर ने संस्थागत परीक्षा क्रम में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। छात्रा का हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र में नाम पूनम तिवारी है, छात्रा स्नातक तीनों वर्षों में श्रीमती पूनम त्रिपाठी के स्थान पर पूनम तिवारी का नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि श्रीमती पूनम त्रिपाठी के स्थान पर पूनम तिवारी का नाम संशोधन कर दिया जाय।

6. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2016 में उत्तरपुस्तिका की सिलाई खुली होने एवं कवर पृष्ठ चिपकाये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/08/2016 के क्रम में प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष से आख्या मांगी गयी थी। आख्या दिनांक 17/10/2016 में उल्लेख है कि उत्तरपुस्तिका पर छात्र द्वारा लिखने के बाद सिलाई खुला होना बताया गया, लिखी गयी उत्तरपुस्तिका बदलना सम्भव नहीं था, कवर पृष्ठ उत्तरपुस्तिका से अलग न हो इस लिए उसे चिपकाया गया था। प्राचार्य के आख्या पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

7. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी का एक अन्य विषय के रूप में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के वर्ष से एक प्रायोगिक विषय से चौथे वर्ष तक, अप्रायोगिक विषय से दसवें वर्ष तक तथा स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के वर्ष से, स्नातक द्वितीय वर्ष के छोड़े गये प्रायोगिक विषय से, स्नातक भाग तीन में, चौथे वर्ष तक एवं अप्रायोगिक विषय से दसवें वर्ष तक, परीक्षा में सम्मिलित होने पर विचार।

निर्णयः– 1. समिति ने उक्त के सम्बन्ध में सर्वसम्मत्ति से अनुमति प्रदान किया।

2. समिति ने छात्रों के अनुरोध के क्रम में इस वर्ष की परीक्षा में एकल विषय के रूप में बैठे ऐसे छात्रों के परिणाम छात्रहित में घोषित करने का निर्णय लिया जो कि उपरोक्त निर्णय से आच्छादित है।

8. प्राचार्य, लगना देवी ताराकान्त महिला महाविद्यालय, रनिहवॉ, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 29/09/2016 द्वारा अवगत कराया है कि बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–2016 के आंतरिक परीक्षक डॉ0 यशवन्त सिंह वनस्पति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर ने वाह्य परीक्षक को दरकिनार करते हुए उत्तरपुस्तिका के अंकों में मनगानी तरीके से अंक देते हुए प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है जिससे सम्बन्धित छात्राओं में अत्यन्त रोष है, इस सम्बन्ध में उचित कारवाई करने का अनुरोध किया है। जिसके क्रम में कुलपति जी द्वारा "विभागाध्यक्ष उत्तरपुस्तिका देखकर परीक्षण कराकर आख्या दें" आदेशित किया गया। जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग ने अपनी आख्या में लिखा है कि "परीक्षा नियंत्रक निशप परिस्थिति में आप द्वारा ऐसे सभी शिकायती परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर कराने की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के क्रम में विचार।

निर्णयः– समिति ने पाया कि छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा होने के बाद इन्हीं छात्रों का दुबारा प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग उत्तरपुस्तिका देखकर परीक्षण कर आख्या दें।

9. (क) स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर वर्ष–2016 की परीक्षा 6 दिसम्बर, 2016 (मंगलवार) से कराने पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर वर्ष–2016 की परीक्षा 6 दिसम्बर, 2016 (मंगलवार) से कराने का निर्णय लिया।

(ख) वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षा 15 जनवरी से कराने पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षा 15 जनवरी, 2017 से कराने हेतु विभागाध्यक्ष परीक्षक सूची (पत्राचार पता एवं मोबाइल नम्बर सहित) परीक्षा गोपनीय अनुभाग को प्रेषित करें।